फॉर्म नं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ
600/1, यूनीवर्सटी रोड, निकट हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ–226007
(न्यायक्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

जबाव दर्ज करने और हाजिरी हेतु प्रकाशन द्वारा समन

ओ.ए. नं. 782/2024 दिनांक: 25.10.2024

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादियों को समन)

ओ.ए. सं. 2024 की 782

ऐक्सिस बैंक ..... आवेदक

बनाम

मेसर्स किमाया एग्रो फार्म्स और अन्य ..... प्रतिवादी

प्रति,

1. मेसर्स किमाया एग्रो फार्म्स (एक भागीदार कंपनी) निवासी मकान नंबर 18, डुप्लेक्स–II, स्वारिम विहार, सेक्टर 82, महर्षि नगर, सलारपुर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

2. संदीप चौधरी पुत्र श्री जगबीर सिंह, निवासी मकान नंबर 18, डुप्लेक्स–II, स्वारिम विहार, सेक्टर 82, महर्षि नगर, सलारपुर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

3. अशोक शर्मा पुत्र श्री कांति प्रसाद, निवासी मकान नंबर के5–5046, शास्त्री नगर, मेरठ–250004

4. मेसर्स प्योर मिल्क प्रोसेसर्स ओ/ओ बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301 अपने मालिक अंकुर भाटी पुत्र श्री राजेंद्र भाटी निवासी मकान नंबर 18, डुप्लेक्स–II, सेक्टर 82, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301 के माध्यम से

5. मेसर्स भाटी एग्रो प्रोसेसर्स (एक भागीदार कंपनी) ओ/ओ बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा))–201301 अपने भागीदारों के माध्यम से (1) अशोक शर्मा निवासी मकान नंबर के5–5046, शास्त्री नगर, मेरठ–250004, (2) नरेश कुमार पुत्र श्री दिमाग सिंह निवासी बी–112बी, सेक्टर 44, मेट्रो पिलर 68 के पास, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301

..... प्रतिवादी

उपर्युक्त नामित आवेदन में आपको समन प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/प्राधिकृत एजेंट को प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में स्वयं या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट या विधिक प्रैक्टिसनर के माध्यम से दस्तावेजों व शपथपत्र (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में जबाव दर्ज करना है, और इसके बाद **08.01.2025** को समय **पूर्वा. 10:30 बजे** न्यायाधिकरण के समक्ष हाजिर होना है, अन्यथा आपकी गैर–हाजिरी में आवेदन की सुनवाई की जायेगी और निर्णय किया जायेगा।

रजिस्ट्रार

सील ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट–IV–ए – ई–नीलामी–अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 6वीं मंजिल, अनारिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : नोएडा : भूतल, डी2, सेक्टर 3, नोएडा, उ.प्र. 201301

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम डी में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जाएगी।

एतद्वारा अब तक संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत कॉलम अ में अंकित कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के एसाइनी(यों), जैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **www.pnbhouslng.com** देखें।

ऋण सं./कर्जदार/सहकर्जदार /जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (A)	मांगकृत राशि तथा तिथि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	बंधक सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि (G)	संविदा वृद्धि दर (H)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट केस, यदि कोई (K)
NHL/NOI/1216/338290 रोबिन कांत उपाध्याय श्रीमती सरोज उपाध्याय एवं मैसर्स मेडिकेयर इंक. शा.का.: नोएडा	रु. 1,223,504.60 24-02-24	भौतिक कब्जा	दुकान नं. एफएफ-37, द्वितीय तल, ओमेक्स द पार्क प्लाजा, प्लॉट नं. डी, शक्ति खंड-2, इंद्रपुरम, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201001	रु. 1,711,000	रु. 171,100	09-12-24	रु. 10,000	26.11.2024, को 10.00 बजे पूर्वा. - 5.30 बजे अप.	10-12-2024, 02:00 बजे अप.- 03:00 बजे अप.	निल

***साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भुगतान तथा/अथवा उसकी वसूली की तिथि तक हुए हैं। ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. ङ में प्रकटित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पुनः ऐसे ऋण भार सफल क्रेता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित क्रेता(ओ)/संविदाकारों से उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सुनिश्चित करने का निवेदन है।**

1. अब तक उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/कोर्ट इंजक्शन नहीं है।
2. सम्भावित क्रेता/संविदाकार तथा इच्छुक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम–ङ में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमे से सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तुष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में संविदाकार/क्रेता बिक्री मूल्य का 25% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य के 25% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रों) के पक्ष में पुष्टि की जायेगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभूति आस्ति की सरफैसी अधिनियम के तहत पुनः बिक्री की जायेगी।
4. मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में अधिकृत प्राधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** में है। संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने की किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री मुनेन्द्र कुमार, टोल फ्री नंबर: 1800120 8800, ई–मेल: **auction@pnbhousing.com**, पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वय करना होगा, या **www.pnbhousing.com** का संदर्भ लें।

स्थान : नोएडा, तिथि : 09.11.2024 ह./– अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Stressed Assets Recovery Branch, 3rd Floor, Matrix Mall, Sector-4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan)-302004
Email:- sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184
Tel:- 0141-2657811, 2657921,2657926,265989

परिशिष्ट–IV {नियम 8(1)} कब्जे संबंधी सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत आधिकारी भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन {अधिनियम 2002(2002 का 54)} के अधीन और धारा 13(12)तथा सपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002के {नियम 3} के अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में ऋणी मैसर्स आर.एस. शर्मा ब्रदर्स, वार्ड नं. 23, आर.एस. शर्मा पेट्रोल पंप, थाना मोड चौमूं, जयपुर और श्री विश्वनाथ शर्मापुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा(साझेदार) श्री काशीनाथ शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, (साझेदार एवं बन्धककर्ता) और श्री शीतल शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा, (गारंटर और बन्धककर्ता) को सूचना में उल्लेखित राशि रू. 51,82,227.00 (अक्षरे इक्यावन लाख बयासी हज़ार दो सौ सताइस रुपये मात्र) दिनांक30.08.2024 को बकाया तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों की राशि को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्संदत करने के लिए बुलाते हुए एक मांग प्त्र सूचना दिनांक 31.08.2024 को जारी किया गया था।

ऋणी/जमानती द्वारा यह राशि न चूका पाने के कारण ऋणी/जमानती एवम आम जनता को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमवाली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 नवम्बर 2024 को यहाँ नीचे दिए गए विवरण वाली संपति का कब्ज़ा /स्वामित्व ले लिया गया है ।

ऋणी व जमानती को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इस संपति में कोई लेनदेन न करे और इस संपति में किसी भी प्रकार का लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के राशि रू. 54,56,214/– (अक्षरे चौवन लाख छपपन हजार दो सौ चोदह रुपये मात्र) दिनांक 05.11.2024 को बकाया तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के अधीनहोगा।

उधारकर्ता/जमानती का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) कं उपबंधो की और आकृष्ट कियाजाताहै ।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. साम्यिक बंधक सम्पत्ति श्री काशीनाथ शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नाम एक दुकान नं. जी–20,भूतल, सुधाकर कॉम्प्लेक्स, थाना मोड, चौमूं, जिला जयपुर (राज.)में स्थित है एवम जिसका क्षेत्रफल 153.12(17'-6"x8'-9")वर्गफिट है। जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है:–पूर्व में:दुकान नं. जी–21,पश्चिम में: दुकान नं. जी–19,उत्तर में:गली, दक्षिण में:अन्य सम्पत्ति
2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति श्री शीतल शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा के नाम एक दुकान नं. एस–04,द्वितीय तल, सुधाकर कॉम्प्लेक्स, थाना मोड, चौमूं, जिला जयपुर (राज.)में स्थित है एवम जिसका क्षेत्रफल 157.50(18"x8'-9")वर्गफिट है। जिसकी सीमाये निम्न प्रकार है:–

पूर्व में :दुकान नं. एस–3 पश्चिम में: दुकाननं. एस–3 उत्तर में:अन्य सम्पत्ति दक्षिण में :गली

दिनांक: 06.11.2024 स्थान :जयपुर (राज.) प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

आईटीएल फिनलीज ऐंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : एल65910डीएल1991पीएलसी045090
पंजी. कार्यालय : बी–08, जीडी–आईटीएल टावर, टॉप फ्लोर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
ई–मेल : csitlfinlease@gmail.com, वेबसाइट : www.itlfinlease.in, फोन नंबर – 011–41572981

30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु
अ–लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		अर्द्ध वर्ष समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2024 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2023 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2024 अ–लेखापरीक्षित	30.09.2023 अ–लेखापरीक्षित	31.03.2024 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	6.66	24.02	17.93	47.12	102.79
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-16.97	-11.72	-26.87	-8.65	-4.89
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.97	-11.72	-26.87	-8.65	41.16
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.98	-12.09	-26.90	-9.82	26.07
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय खजिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं,	-16.98	-12.09	-26.90	-9.82	26.06
6	इक्विटी शेयर पूंजी	473.53	473.53	473.53	473.53	473.53
7	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है)					476.61
8	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) –					
	(ए) मूल	-0.35	-0.26	-0.56	-0.21	0.55
	(बी) तनुकृत	-0.35	-0.26	-0.56	-0.21	0.55

नोट्स :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज एमएसईआई में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु पृथक्कृत अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट नामतः www.msei.in पर और कम्पनी की वेबसाइट www.itlfinlease.in पर उपलब्ध है।
2. 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु उपरोक्त अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए हैं और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 08–11–2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
आईटीएल फिनलीज ऐंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता./–
बी.एल. गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 00143031

स्थान : दिल्ली
तिथि : 08–11–2024

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में
तथा
मैसर्स आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली–110092 में स्थित है
.....आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 05 नवम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड
बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, नई दिल्ली–110092

कृते एवं हिते आवेदक
आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लिमिटेड
हस्ता./–
हिमांशु लूथरा
निदेशक
डीआईएन : 09783238
यूनिट नंबर 1901, 19वां तल
टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर
प्लॉट नंबर सी–1, सेक्टर–16
नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश

तिथि : 08 नवम्बर, 2024
स्थान : नई दिल्ली

Form No. 14 [See Regulation 33(2)]
[By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-11, LalKothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

R.C. No. 479/2022 Next Date 21.11.2024

STATE BANK OF INDIA Versus **JITENDRA SINGH**

To

DEMAND NOTICE

(CD 1) JITENDRA SINGH S/O SHRI MANDAN SINGH
R/O- 265, ARYA NAGAR, NEAR MATA JI KA MANDIR J MURLIPURA, JAIPUR (RAJ.)
(CD 2) SMT. JYOTI KANWAR W/O SHRI JITENDRA SINGH
R/O- 265, ARYA NAGAR, NEAR MATA JI KA MANDIR J MURLIPURA, JAIPUR (RAJ.)
Also at- 85, Parth City, Machwa, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in OA/22/2020 an amount of Rs. 74,01,567/- (Rs. SEVENTY FOUR LAKH ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN ONLY) and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
2. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 21.11.2024 at 10.30 am. for further proceedings.
3.In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
A) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.
B) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERIFICATE DUE AGAINST YOU

1. Recover Certificate Amount Rs. 74,01,567/-
2. Cost of Suit Rs. 72,466/-
3. Interest from 24.12.2019 to 03.09.2024 @10% P.A. Rs. 34,54,064/-
4. Amount recovered after RC issued Rs. 49,30,000/-
5. Total Cost Rs. 59,98,097/-

NOTE: Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date 03.10.2024

Seal **Recovery Officer-I**
Debt Recovery Tribunal Jaipur

Form No. 3
[See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.: OA/779/2024
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. **Exh. No.: 13761**

STATE BANK OF INDIA VS GAJJU

To,
(1) GAJJU
D/W/S/O- GOVINDA
R/O WARD NO. 10, BANATHALA, DANTARAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN-33260

SUMMONS

WHEREAS, **OA/779/2024** was listed before Hon'ble Presiding **Officer/Registrar** on **19.10.2024**

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 2865792/-** (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. **(iii)** You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. **(iv)** You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. **(v)** You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar on 30.01.2025 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this **Tribunal on this date 21.10.2024**

Seal **Assistant Registrar**
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

इंडियन ओवरसीज बैंक

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच – एससीओ 3025–26, सेक्टर 22–डी, चंडीगढ़–160022,
ई–मेल: iob2575@iob.in

दिनांक: 30.09.2024

कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को बिक्री–पूर्व नोटिस
सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी

सेवा में,

(1) मेसर्स शंकर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ए–3बी, यूपीएसआईडीसी, कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कलां, जिला मथुरा (उ.प्र.) (कर्जदार) (2) श्रीमती वीना अरोड़ा (निदेशक/गारंटर) हाउस नंबर 201, सेक्टर 16–ए, फरीदाबाद, हरियाणा (3) श्री प्रशांत गोयल (निदेशक/गारंटर), हाउस नंबर 794, सेक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा (4) मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर (इसके मालिक श्री कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से), प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद, हरियाणा (5) श्री कुशल मोहन अरोड़ा (निदेशक/गारंटर) हाउस नंबर 201, सेक्टर 16–ए, फरीदाबाद, हरियाणा। दूसरा पताः– श्री कुशल मोहन अरोड़ा, हाउस नंबर 551, चौथी मंजिल, सेक्टर 21–सी, फरीदाबाद, हरियाणा।

महोदय/महोदया,

(1) यह सरफैसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत आपके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्रवाई का संदर्भ है।

(2) कृपया नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विस्तृत रूप से वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में आपको जारी किए गए दिनांक 13.08.2024 के कब्जा सूचना और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रतिभूत परिसंपत्तियों की वसूली के उद्देश्य से दिनांक 17.08.2024 को दो प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त कब्जा नोटिस के प्रकाशन का संदर्भ लें।

(3) आप, उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर, दिनांक 30.04.2024 के मांग सूचना और दिनांक 13.08.2024 के कब्जा सूचना के जारी होने के बाद शून्य राशि के भुगतान को छोड़कर बकाया राशि का पूरा भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत **''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''आश्रय रहित आधार''** पर बेचने का प्रस्ताव है।

(4) कब्जे की तारीख को बैंक को देय राशि 12.08.2024 तक रु. 20,14,34,271/– (रुपये बीस करोड़ चौदह लाख चौंतीस हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) बताई गई थी, जिसमें अनुबंध दरों पर ब्याज और शेष राशि के अलावा पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक होने वाले खर्च/प्रभार का भुगतान किया जाना है।

(5) हम आपको सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिनों का नोटिस देते हैं कि आप 15.08.2024 तक कुल बकाया राशि रु. 20,16,81,132/– (रुपये बीस करोड़ सोलह लाख इक्यासी हजार एक सौ बत्तीस मात्र), साथ ही भुगतान की तारीख तक ब्याज और लागत का भुगतान करें। हम आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें अनुसूचित संपत्तियों को विमोचित करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय शामिल है।

(6) यदि आप बैंक को बकाया राशि का भुगतान करके संपत्तियों को विमोचित करने में विफल रहते हैं, तो इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि बीतने के बाद किसी भी दिन सरफेसी अधिनियम के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के उचित प्रावधानों के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए इसे बिक्री के लिए रखा जाएगा। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य और बिक्री के अन्य विवरण प्रदान करने वाली उक्त बिक्री सूचना अलग से दी जाएगी।

संपत्तियों की अनुसूची

प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद हरियाणा में औद्योगिक प्लॉट और बिल्डिंग, मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर के नाम पर (इसके मालिक कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से बंधक) 2150 वर्ग गज, बिक्री विलेख संख्या 5268 दिनांक 05.08.2004।* सीमाएं निम्नानुसार हैं:– उत्तरः सड़क से; दक्षिणः सरकारी भूमि और बड़खल फ्लाईओवर से; पूर्वः प्लॉट नंबर 44, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद से; पश्चिमः प्लॉट नंबर 42, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद से।

मूल्यांकन के अनुसार – साइट पर भौतिक क्षेत्र –2100 वर्ग गज।
(सांकेतिक कब्जे में)।

***उपर्युक्त प्रतिभूति (प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद हरियाणा में औद्योगिक प्लॉट और बिल्डिंग, मेसर्स नैनी एक्सपोर्टर के नाम पर (इसके मालिक कुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से बंधक) 2150 वर्ग गज की माप। बिक्री विलेख संख्या 5268 दिनांक 05.08.2004) भी हमारे सेक्टर 12, फरीदाबाद शाखा के साथ मेसर्स नैनी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते में बंधक है, जो मानक है और आज की तारीख में निष्पादन कर रहा है, साथ में 31.07.2024 को रु. 4,93,57,877.67 (रुपये चार करोड़ तिरानबे लाख सत्तावन हजार आठ सौ सतहत्तर और पैसे सड़सठ मात्र) यथाप्रयोज्य अतिरिक्त ब्याज के साथ बकाया है।**

सीसीः– मेसर्स नैनी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर 12, फरीदाबाद शाखा में ऋण खाता) प्लॉट नंबर 43, सेक्टर 27–ए, फरीदाबाद, हरियाणा।

प्राधिकृत अधिकारी

आईटीएल फिनलीज ऐंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : एल65910डीएल1991पीएलसी045090
पंजी. कार्यालय : बी–08, जीडी–आईटीएल टावर, टॉप फ्लोर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
ई–मेल : csitlfinlease@gmail.com, वेबसाइट : www.itlfinlease.in, फोन नंबर – 011–41572981

30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु
अ–लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		अर्द्ध वर्ष समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2024 अ–लेखापरीक्षित